

**धारा 33 : कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम**

इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई पूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जाती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी पूर्ति के लिए कर संदाय करने के लिए दायी है, निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों, कर बीजक और अन्य समान दस्तावेजों में कर की उस रकम को, जो उस मूल्य का भाग होगी, जिस पर ऐसी पूर्ति की जाती है, प्रमुखतः उपदर्शित करेगा।

---